

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम, जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

पाठ्य वकील प्राथी हासिल वकील प्राथी कारवा  
मूल्य वाद को लोक अदालत की बाबत को  
विद्वो विभा जा चुका है इसी कारण प्राथी  
शर अफवाक को आगे चलाने का कोई औचित्य  
नही है। दिनांक 23/6/2020 को उक्त वाद के  
साथ जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को वही अदालत  
पर निरस्त किया जाता है पत्रावली विधि  
होकर काखिल इफ्तद हो।

आदेश सुनाया गया।

उपस्थित अधिकारी  
रायसिंहनगर

मोहम्मद सलीम  
दरमद नद  
पुलवा बन्धन  
[Signature]

